कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला उदयपुर

प्रार्थी श्रीमती सजु बाई — **विपक्षी** श्री रूपसिंह व अन्य
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम — **प्रकरण संख्या** 01/2022

कार्यवाही विवरण

03/09/24

–::निर्णय::–

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार जैन–अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सुरेश पुरी–अधिवक्ता विपक्षी सं. 1
श्री रोहित भट्ट– अधिवक्ता विपक्षी सं. 2
श्री गेबीलाल मेहता–अधिवक्ता विपक्षी सं. 3
श्री राजकुमार जैन–अधिवक्ता विपक्षी सं. 4, 5

प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर आवश्यक प्रकृति का होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03–01–2022 को प्रार्थी अधिवक्ता को सुना जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तद्पश्चात कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षीगण द्वारा जावब पेश नही किये जाने से विपक्षीगण का जावाब बन्द किया गया एवं पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं कथन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अ, ब, स, द, य एवं र मे वर्णित भूमि के प्रार्थीगण हिस्सेदार है जबकि विपक्षीगण ने बिना किसी अधिकार से राजस्व अधिकारी एवं पटवारी से सांठगांठ कर हम प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही किये जबकि स्व. नाथुसिंह के वारिसान मैं प्रार्थी सं. 1 पुत्री होने तथा देवीसिंह, इन्द्राबाई, फतु कुंवर स्व. नाथुसिंह जी के दोहिता एवं दोहित्री होने से वारिसान थें। कानूनन राजस्व अधिकारी को हमारे नाम से नामान्तरण खोलना चाहिये था जो कि नहीं खोला जो कि गलत है। उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण हमारे हिस्से अनुसार आज भी काबिज चले आ रहे है। इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षीगण दस्तनदाजी नहीं करे तथा ना ही उक्त भूमि किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें और ना ही प्रार्थीगण को उनकी भूमि से बेदखल करे। अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे कथन कर निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे ताकिं वाद बहुलता नही बढे।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उभयपक्ष के हितो का निर्धारण एव निस्तारण मूलवाद मे गुणादगुण के आधार पर किया जाना है। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थित बनाये रखना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात की भूमि की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03/09/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर